"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2010—चैत्र 26, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना एवं वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 01-04-2010 से 09-04-2010 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना एवं वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/5/2006/1/2.—श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं संचालक, सम्पदा को दिनांक 31-05-2010 से 05-06-2010 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-05-2010 एवं 06-06-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शोरी आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं संचालक, सम्पदा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शोरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/07/2006/1/2.—श्री एन. एस. मण्डावी, भा.प्र.से., प्रबंध संचालक, छ. ग. हाथ करघा विकास एवं विपणन संघ मर्या. तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर को दि. 31-05-10 से 05-06-2010 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-05-2010 एवं 06-06-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डावी आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. हाथ करघा विकास एवं विपणन संघ मर्या. तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मण्डावी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डावी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/45/2004/1/२.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-03-2010 द्वारा श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से., आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 29-03-2010 से 07-04-2010 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री पिंगुआ के उक्त अवकाश अवधि में श्री मनोहर पाण्डे, आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर का चालू कार्य सौंपा गया है. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पिंगुआ के उक्त अवकाश अवधि में श्री मनोहर पाण्डे, आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर के स्थान पर श्री एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, बस्तर को आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का चालू कार्य सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक 825/680/2010/1/2.—श्री के. श्रीनिवासुलू, भा.प्र.से., पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छ. ग. रायपुर को दिनांक 05-04-2010 से 24-04-2010 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 04 एवं 25-04-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीनिवासुलू आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छ. ग. रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीनिवासुलू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीनिवासुलू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री श्रीनिवासुलू के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में डॉ. दुर्गेश मिश्रा, सचिव, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक 3284/814/21-ब/2010.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर सुदेश पाल, चर्च आफ ख्राइस्ट, नारायहार, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 3284/814/21-B/2010.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Paster Sudesh Pal, Church of Christ, Tarbahar, Bilaspur, for Bilaspur District State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage ; and

2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2010

क्रमांक-एफ 9-1/2009/42.—विभागीय समसंख्यक आदेश के द्वारा राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन CSSDM का गठन किया गया है. राज्य में कौशल विकास मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक-एफ 9-1/2009/42, दिनांक 03-12-2009 में संशोधन करते हुये, एतद्द्वारा डॉ. रोहित यादव, संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं श्री सुरेश त्रिपाठी, संयुक्त संचालक, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी CSSDM के रूप में आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ 02-02/स्था./31/2009.—छ. ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) से अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में कार्यपालन अभियंता, (वि./यां.) से अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष के स्थान पर, भर्ती नियम में अर्हकारी सेवा 03 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2010 से 31-12-2010 तक के लिए) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-7/2010/16.—मैनेजर मेसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाईल्स लिमिटेड 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल स्टेट पो.आ. सरोरा सेक्टर डी., उरला रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनियुक्ति जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन नंदिनी रोड भिलाई द्वारा किया जा रहा है एवं मैनेजर मेसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाईल्स लिमिटेड 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल स्टेट पो.आ. सरोरा सेक्टर डी., उरला रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद के माननीय औद्योगिक न्यायालय के पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या इकाई में कार्यरत समस्त श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2007-08 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान एवं 10 प्रतिशत एक्सग्रेसिया राशि पाने का पात्र है ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-7/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन नंदिनी रोड भिलाई एवं मैनेजर मेसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाईल्स लिमिटेड 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल स्टेट पो.आ. सरोरा सेक्टर डी., उरला रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक संबंध क्रमांक 04/तीन/सी.जी.आई.आर./2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, प्रमुख सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में :—

अनुसूची दो के सरल क्रमांक 1 के कॉलम 02 में प्रविष्टि शिक्षा कर्मी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"शिक्षा कर्मी"
वर्ग-1

No. F-4-42/2006/18.—In exercise of the powers conferred by section 433 read with section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

For the entry in column (02) against serial No. 1 of Schedule-II the following shall be substituted, namely :—

"Shiksha Karmi"
Grade-1

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ 8-1/2010/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड सीपत, बिलासपुर के 3 × 660 मेगावाट पावर प्लांट के तीन बायलरों से संबंधित 18 नग हाई प्रेशर हीटर तथा 6 नग स्टीम कूलर को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 28 (ए) (1) द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्रों (फार्म II बी, III, IV-ए, III-सी) तथा मानचित्रों से छूट प्रदान करता है :—

(1) यह छूट 18 नग हाई प्रेशर हीटर तथा 6 नग स्टीम कूलर हेतु लागू रहेगी. बायलरों तथा उसके शेष उपकरणों हेतु यह छूट लागू नहीं रहेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 13 के अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन हाई प्रेशर हीटर तथा स्टीम कूलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन हाई प्रेशर वाटर हीटर तथा स्टीम कूलर का स्थल पर स्थापना कार्य, निरीक्षण एवं परीक्षण भारतीय बायलर विनियम-1950 के प्रावधानों के अनुसार करावें.

(4) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010.

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

अ. नियमावली के परिशिष्ट-1 के अनुक्रमांक-7 एवं 62 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :—

अनुक्रमांक-7 स्टील के पाईप [जी.आई.पाईप (केसिंग पाईप/राईजर पाईप) सहित].

अनुक्रमांक-62 कम्प्यूटर एवं एसेसरीज.

ब. उक्त परिशिष्ट-एक में निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित किया जाता है :—

अनुक्रमांक-103 थर्मो प्लास्टिक होज पाईप

अनुक्रमाक-104 आयरन रिमूव्हल प्लांट

अनुक्रमांक-105 स्टैण्डअलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम

अनुक्रमांक-106 एल.ई.डी. लाईट

अनुक्रमांक-107 सी.एफ.एल. लाईट

अनुक्रमांक-108 12 स्टेशन मल्टीजिम उपकरण

अनुक्रमांक-109 फुटबाल गोलपोस्ट

अनुक्रमांक-110 व्हॉलीबॉल नेटपोस्ट

अनुक्रमांक-111 खो-खो पोस्ट

अनुक्रमांक-112 फुटबॉल

अनुक्रमांक-113 व्हालीबॉल

अनुक्रमांक-114 व्हॉलीबॉल नेट

अनुक्रमांक-115 डिस्कस (एथलेटिक उपकरण)

अनुक्रमांक-116 शॉट (एथलेटिक उपकरण)

अनुक्रमांक-117 जावेलीन (एथलेटिक उपकरण)

स. उक्त भण्डार क्रय नियम के नियम 3 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाये :—

यह भी कि विभागीय मंत्री के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर उक्त भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट-एक में वस्तुओं को शामिल करने अथवा विलोपित करने की कार्यवाही वाणिज्य एवं उद्योग विभाग स्वत: कर सकेगा.

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक/528/अ-82/वर्ष 09-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	बघमरा प. ह. नं. 26	0.17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	राजनांदगांव गुण्डरदेही मार्ग पर तांदुला नदी पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक/540/अ-82/वर्ष 09-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	ओडारसकरी प. ह. नं. 13	0.05	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जोग नाला जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2010

क्रमांक/697/अ. भू-अ.प्र./10/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिमतरा प. ह. नं. 41	0.53	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बैकुंठपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्रमांक/1692/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया, बैकुण्ठपुर	खड़गंवा	1. नेवरी, प. ह. नं. 13	6.04	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़.	कांसाबहरा से भौता मार्ग
		2. कौड़ा, प. ह. नं. 13	3.26		

भूमि का नक्शा (प्लान) ज़िलाध्यक्ष जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खड़गंवा/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छनीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक 326/3-अ/82/भू-अर्जन/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	कोलियारी प. ह. नं.-58/21	1.21	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री.	रविशंकर सागर जलाशय बांध गंगरेल के डूब में आने से.

धमतरी, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक 327/4-अ/82/भू-अर्जन/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	सिलतरा प. ह. नं.-61/24	0.60	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री.	रविशंकर सागर जलाशय बांध गंगरेल के डूब में आने से.

धमतरी, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक 328/5-अ/82/भू-अर्जन/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	माटेगहन प. ह. नं.-58/21	0.40	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री.	रविशंकर सागर जलाशय बांध गंगरेल के डूब में आने से.

धमतरी, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक 329/6-अ/82/भू-अर्जन/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	तिंर्रा प. ह. नं.-58/21	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री.	रविशंकर सागर जलाशय बांध गंगरेल के डूब में आने से.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2054/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बोदेला प. ह. नं. 03	1.74 एकड़	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 02, दाईं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2056/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आलीखूंटा प. ह. नं. 43	0.47 एकड़	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 02, दाईं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2058/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बेलरगोंदी प. ह. नं. 50	0.303	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2059/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कोटरासरार प. ह. नं. 23	0.835	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, राजनांदगांव.	मोखली, बांकल, पनेका मार्ग पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2060/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मेढ़ा प. ह. नं. 30	9.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2061/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पिपरिया प. ह. नं. 28	0.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र./2062/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पिनकापार प. ह. नं. 30	11.98	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 27 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-झलका, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	132/3	0.057
	132/2	0.202
	132/1	0.065
योग	3	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिएं आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 27 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 21 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बुधवारा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	100/1	0.032
	15	0.045
	16/1	0.024
	17/3	0.032
	21/3, 22/3	0.020
	21/6, 22/6	0.016
	101/1	0.077
	100/2	0.032
	16/2	0.020
	99/1	0.064
	21/9, 22/9	0.020
	14	0.008
	100/3	0.032
	16/3, 17/2	0.016
	99/2	0.016
	21/1, 22/1	0.016
योग	16	0.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेन रोड से रहंगी तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 27 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	69/1	0.028
	69/2	0.032
योग	2	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मेन रोड से रौचन सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 27 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 02 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105/2	0.060
योग 1	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मेन रोड से रौचन सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 06/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-खारा, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337	0.028
336	0.028
335/1	0.032
334	0.053
315/3	0.085
315/1	0.085
165	0.069
166/2	0.077
160/1	0.069
131/3	0.077
130	0.069
46	0.170
129	0.057
127	0.032
50	0.041
125/1	0.028
122/1	0.028
124/1	0.101
121	0.036
120	0.028
119/1	0.077
51	0.069
49/1	0.036
49/2	0.036
48/2	0.021
48/5	0.021
47	0.085
451/1	0.121
449/6	0.061
445/1	0.146
442	0.089
306/1	0.061
307/2	0.012
469	0.012
योग 34	2.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खारा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 07/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-भेलकाटोला, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.869 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
217	0.154
216/1	0.036
218/1	0.186
218/2	0.097
209/2	0.121
209/3	0.190
201	0.057
203	0.036
200	0.057
202	0.021
199	0.113
204	0.004
198	0.223
197	0.053
159/4	0.158
159/1	0.113
160/1	0.121
44	0.012
45	0.117
योग 19	1.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खम्हरिया जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 08/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-गीधनखार, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.904 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
58/2	0.809
58/3	2.023
58/4	2.023
60	1.473
62	0.418
63/2	1.417
63/3	1.214
63/4	1.404
63/5	2.023
63/6	0.931
64	4.603
108	0.809
66	1.619
31/6	1.133
31/5	1.005
योग 15	22.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहारीडीह जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 09/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-अमेरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	94/2	0.109
	96	0.089
योग	2	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेरा एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 10/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-सिली, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/1, 2/1, 4/1, 5/2	0.190
योग	1	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेरा एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोदाम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.947 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1144/2	0.364
1144/6	0.251
1144/7	0.040
1145	0.049
1146	0.243
योग 5	0.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वे-ब्रिज की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक/2782/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) ज़िला-बीजापुर
(ख) तहसील-उसूर
(ग) नगर/ग्राम-मोदकपाल, प. ह. नं. 16 मुरकीनार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
155/8	1.15
155/9	1.15
योग 2	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुलिस थाना भवन मोदकपाल हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th March 2010

No. 115/Confdl./2010/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Pooja Mehar, Civil Judge Class-II, Bhatapara, District-Raipur, for changing of her surname, she is hereby, permitted to change her surname as "Smt. Pooja Jaiswal". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 27th March 2010

No. 118/Confdl./2010/II-1-1/2010.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11017/2/2010/ US. II dated 22nd March, 2010 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice I. M. Quddusi has assumed charge of the office of Judge of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the forenoon of March 26, 2010.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 29th March 2010

No. 225/L.G./2010/II-2-12/2009.—Shri A. K. Goyal, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for five days from 05-04-2010 to 09-04-2010 and permission to prefix holiday of 04-04-2010 (Sunday) & suffix holidays from 10th to 11th April, 2010 (2nd Saturday & Sunday) along with permission to leave headquarters after the office hours on 03-04-2010 till before the office hours on 12-04-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 235 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.